

**बिहार सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**  
**आदेश**

आ0सं0-13/स्था0-01-02/2026/

2844

पटना, दिनांक - 26/5/26

वित्त विभाग के संकल्प सं0 3ए-2-वे.पु-18/2009-7566 दिनांक-14.07.2010 एवं संकल्प सं0 3ए-5-से0नि0(MACP)-01/2025-10543/वि0 दिनांक-06.10.2025 से निर्गत क्रमशः रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली-2010 एवं रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली-2025 में निहित प्रावधानानुसार जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अधीन दिनांक-07.05.2026 को आयोजित विभागीय स्क्रूनिंग समिति की बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित मूल कोटि के कनीय अभियंताओं (असैनिक), जिन्हें वेतनमान 6500-10,500 में प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ/प्रोन्नति प्रदान किया गया था, को रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली-2010/ रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली-2025 की प्रभावी तिथि 01.01.2009 अथवा प्रथम योगदान की तिथि से 20 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने की तिथि अथवा इनमें से जो भी बाद में हो, से (उनके नाम के सम्मुख कॉलम-7 में अंकित तिथि से) वेतनमान अपुन0 पी0बी0- 03 गेड पे0-5400 यथा पुनरीक्षित वेतनस्तर-11 में द्वितीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क. सं.	आई.डी. कोड	कनीय अभियंता का नाम/गृह जिला	जन्म तिथि	से0नि0/ मृत्यु/ पदत्याग की तिथि	प्रथम योग. तिथि	द्वितीय रू0 सु0वृ0उ0 (वेतनमान अपुन0 पी0बी0 - 03 गेड पे0 -5400 यथा दिनांक-01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतनस्तर -11) की देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जे.7979 4595	श्री सिद्धेश्वर प्रसाद, अनुसूचित जाति  गया	29/10/60	31-10-20	20-01-87	01.01.09	
2	जे.7980 4668	श्री मुनीदेव वर्मा, अनुसूचित जाति  मधेपुरा	11-04-60	30-04-20	20-01-87	01.01.12	
3	जे.7996	श्री श्रीनिवास राम, अनुसूचित जाति  रोहतास	01-02-63	31-01-23	20-01-87	01.01.09	
4	जे.8000	स्व0 भीम रजक, अनुसूचित जाति  मुंगेर	17/07/64	31-07-24 (वर्ष 2025 में मृत)	20-01-87	01.01.09	

M.A.S.

क. सं.	आई.डी. कोड	कनीय अभियंता का नाम/गृह जिला	जन्म तिथि	से०नि०/ मृत्यु/ पदत्याग की तिथि	प्रथम योग. तिथि	द्वितीय रू० सु०वृ०उ० (वितनमान अपुन० पी०बी० - ०३ गेड पे० -5400 यथा दिनांक-01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतनस्तर -11) की देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
5	जे.8018 4617	श्री किशोर कुमार पासवान, अनु.जाति  प० चम्पारण	20/01/65	31-01-25	20-01-87	01.01.08	
6	जे.8019 4618	श्री रामलखन रजक, अनुसूचित जाति  नवादा	15/03/59	31-03-19	20-01-87	01.01.08	
7	जे.8200 4679	श्री महेन्द्र दास, अनुसूचित जाति  समस्तीपुर	24/04/61	30-04-21	03-12-87	01.01.08	
8	जे.8970	श्री ओम प्रकाश सुमन, अनु.जाति  आज़मगढ़ (उ०प्र०)	04-02-66	28-02-26	19-08-89	19.08.09	
9	जे.8972	श्री किशोर कुमार, अनु.जाति  वाराणसी (उ०प्र०)	15/02/67	28-02-27	08-03-89	08.03.09	
10	जे.8986	श्री कमलेश प्रसाद, अनुसूचित जाति  देवरिया (उ०प्र०)	05-10-63	31-10-23	08-02-89	08.02.09	
11	जे.8994	श्री विध्यांचल कुमार, अनुसूचित जाति  प० चम्पारण	01-01-65	31.12.24	08-07-89	08.07.09	
12	जे.8995	श्री राम बदन, अनुसूचित जाति  आज़मगढ़ (उ०प्र०)	01-03-67	28-02-27	08-03-89	08.03.09	
13	जे.9005	श्री राम चन्द्र प्रसाद, अनुसूचित जाति  बलिया (उ०प्र०)	01-01-64	31-12-23	08-02-89	08.02.09	

M.A.S.

क. सं.	आई.डी. कोड	कनीय अभियंता का नाम/गृह जिला	जन्म तिथि	से0नि0/ मृत्यु/ पदत्याग की तिथि	प्रथम योग. तिथि	द्वितीय रू0 सु0वृ0उ0 (वेतनमान अपुन0 पी0बी0 - 03 गेड पे0 -5400 यथा दिनांक-01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतनस्तर -11) की देय तिथि	अन्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
14	जे.9007	श्री जितेन्द्र, अनुसूचित जाति बलिया (उ0प्र0)	01-07-66	30-06-26	01-08-89	01.08.09	
15	जे.9025	श्री रविन्द्र कुमार, अनुसूचित जाति लखीसराय	01-01-65	31-12-24	29-07-89	29.07.09	
16	जे.9035	श्री रंजीत प्रसाद, अनुसूचित जाति गोरखपुर (उ0प्र0)	18/03/67	31-03-27	08-08-89	08.08.09	
17	जे.9040	श्री प्रमोद पासवान, अनुसूचित जाति जहानाबाद	09-08-67	31-08-27	08-04-89	08.04.09	
18	जे.9044	श्री दशरथ प्रसाद, अनुसूचित जाति बलिया (उ0प्र0)	01-05-65	30-04-25	27-07-89	27.07.09	
19	जे.9048	श्री इन्द्रनाथ प्रसाद, अनुसूचित जाति पटना	18-01-64	31-01-24	28-07-89	28.07.09	

2. नियंत्रि पदाधिकारी वेतन निर्धारण एवं देय लाभों के भुगतान के पूर्व संबंधित अभियंताओं के सेवा पुस्त की सम्यक जाँच कर लेंगे एवं जाँचोपरान्त स्वीकृत लाभों में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य (यथा निर्धारित सेवा अवधि में टूट, निलंबन, बर्खास्तगी, दण्डादेश, थानाकांड आदि जो रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली-2010 एवं रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली-2025 को प्रभावित करता हो) पाया गया हो तो आदेश निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर सभी अपेक्षित नियमानुकूल कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। यह नियंत्रि पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी।

3. जिन कर्मियों की सेवा संपुष्टि/स्थायीकरण पूर्व में नहीं हुआ है एवं सेवापुस्त में अंकित नहीं है, उन्हें सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के तहत वित्तीय उन्नयन के निर्धारण से पूर्व सेवा संपुष्टि/स्थायीकरण संबंधी मामले का सक्षम प्राधिकार से निष्पादन आदेश निर्गत तिथि से एक माह के अन्दर सुनिश्चित करेंगे। यह नियंत्रि पदाधिकारी की जवाबदेही होगी।

4. उपर्युक्त के फलस्वरूप उत्क्रमित वेतनमान में वेतन का निर्धारण वित्त विभाग के संकल्प संख्या-630 दिनांक 21.01.2010 एवं अधिसूचना संख्या-3590 दिनांक 24.05.2017 के आलोक में सुनिश्चित किया जाएगा।

M. O. A. S.

5. बाह्य विभाग में पदस्थापित वैसे कनीय अभियंता/कनीय अभियंता से प्रोन्नति प्राप्त अभियंता, जिन्हें वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान किया गया है, उनके मामले में वैसे अभियंता निलंबित/जिनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया हो और आरोप पत्र निर्गत किया गया हो, किसी आपराधिक आरोप के लिए फौजदारी न्यायालय में आपराधिक कार्यवाही लंबित हो, पूर्व से निर्गत दण्डादेश, जो वित्तीय उन्नयन को प्रभावित करता हो, के संबंध में नियंत्रि/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आश्वस्त हो लेंगे तदोपरान्त नियमानुसार भुगतान आदि संबंधी अग्रोत्तर कार्रवाई करेंगे। यदि किसी बिन्दु पर भ्रम की स्थिति हो तो पूर्ण प्रस्ताव के साथ विभाग का मार्गदर्शन/आदेश अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।
6. वित्तीय उन्नयन की देय तिथि के पूर्व पद त्याग/मृत/सेवानिवृत्त/बर्खास्त (न्यायालयीय आदेश से सेवा में पुनः बने रहने के आदेश को छोड़कर)/वर्तमान में निलंबित अभियंता के लिए यह आदेश प्रभावी नहीं होगा।
7. यदि संबंधित अभियंता के संबंध में पूर्व में निर्गत दंड या लंबित आरोप की जानकारी उपलब्ध होती है, तो प्रदत्त रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा एवं उन्हें भुगतान की गयी राशि/अन्तर राशि की वसूली कर ली जाएगी।
8. भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित कर्मी को प्रदत्त सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा एवं उन्हें भुगतान की गयी राशि/अन्तर राशि की वसूली कर ली जाएगी।
9. यह वित्तीय उन्नयन व्यक्तिगत होगा, जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा।
10. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-  
(मनीष आनंद)  
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक -13/स्था0-01-02/2026/ पटना, दिनांक -  
प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-  
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक -13/स्था0-01-02/2026/ पटना, दिनांक -  
प्रतिलिपि :- सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

ह0/-  
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक -13/स्था0-01-02/2026/ पटना, दिनांक -  
प्रतिलिपि:- माननीय उप मुख्यमंत्री-सह-जल संसाधन विभाग मंत्री, बिहार के आप्त सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, पटना/मंत्रिमंडल निगरानी विभाग, पटना/नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना/ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, पटना/सभी मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन/बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक (मुख्य अभियंता), वाल्मी, फुलवारीशरीफ, पटना/संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)/संयुक्त सचिव (प्रबंधन)/ सभी अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार/सभी उप सचिव (प्रबंधन सहित), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार/सभी अवर सचिव (प्रबंधन सहित) जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कनीय अभियंता (असैनिक)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-9, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 23 एवं 24/प्रभारी बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-  
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक -13/स्था0-01-02/2026/

पटना/दिनांक -

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को Common Integrated Website (www.state.bihar.gov.in) पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह0/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक -13/स्था0-01-02/2026/

2847

पटना/दिनांक -

26/5/26

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित पदाधिकारियों के ईमेल पता पर भेजने हेतु प्रेषित।

M.L.A.S. 26/05/26

अवर सचिव (प्रबंधन)।